सांकेतिक भाषा दिवस: श्रवणबाधित समुदाय के अधिकार

भारतीय सांकेतिक भाषा हिन्दी, अंग्रेजी और भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं से मौलिक रूप से भिन्न है; इसकी अपनी अनूठी संरचना है और यह किसी बोली जाने वाली भाषा का केवल हाथ से किया गया प्रतिनिधित्व नहीं है

परिचय

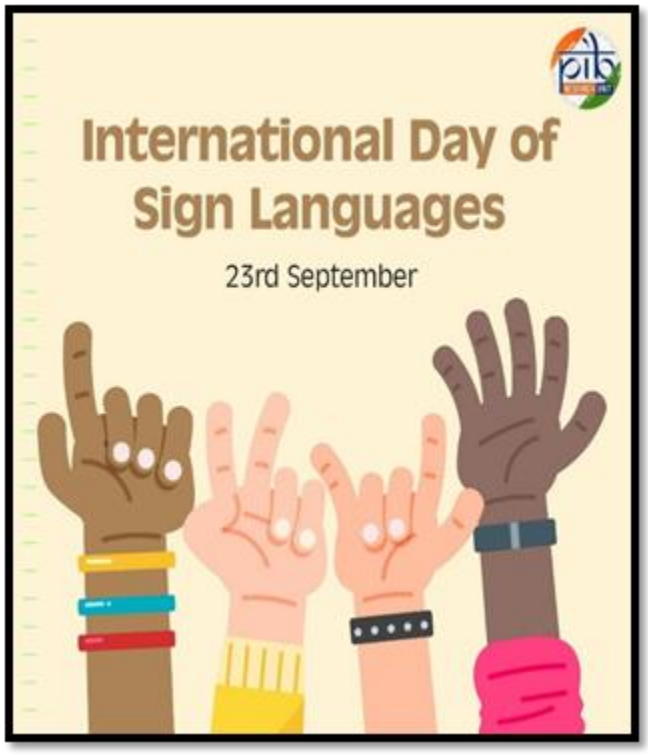

प्रत्येक वर्ष 23 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अवसर है, जो दुनिया भर में श्रवण बाधित व्यक्तियों के अधिकारों और मान्यता को बढ़ावा देने में सांकेतिक भाषाओं की पुरजोर भूमिका पर जोर देता है। 2017 के संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प ए/आरईएस/72/16 के माध्यम से स्थापित, यह दिन सांकेतिक भाषा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक शीघ्र पहुंच कायम करने के महत्व पर प्रकाश डालता है, जो श्रवण बाधित व्यक्तियों के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक हैं। यह संकल्प न केवल भाषायी और सांस्कृतिक विविधता का पक्षधर है, बल्कि वैश्विक स्तर पर 70 मिलियन से अधिक श्रवण बाधित लोगों को भी मान्यता देता है। श्रवण बाधित लोगों में से 80 प्रतिशत से अधिक विकासशील देशों में रहते हैं और 300 से अधिक विभिन्न सांकेतिक भाषाओं का उपयोग करते हैं। **भारत में, इस दिन को सांकेतिक भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) को एक प्राकृतिक दृश्य-मैनुअल भाषा के रूप में उत्सव**

के तौर पर मनाया जाता है, जो श्रवण बाधित और सुनने वाले दोनों समुदायों के बीच संचार को बढ़ावा देती है। आईएसएल हिन्दी, अंग्रेजी या भारत में बोली जाने वाली किसी भी अन्य भाषा के समान नहीं है। इसकी अपनी संरचना है और यह किसी भी बोली जाने वाली भाषा का हाथ से किया गया संकेत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय श्रवण बाधित जन सप्ताह के हिस्से के रूप में 2018 में अपने उद्घाटन समारोह के बाद से,[1] सांकेतिक भाषा दिवस ने अंतरराष्ट्रीय विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने और श्रवण बाधित व्यक्तियों के मानवाधिकारों की पूर्ण प्राप्ति सुनिश्चित करने में सांकेतिक भाषाओं के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया है। यह तिथि विशेष रूप से सार्थक है, क्योंकि यह 1951 में विश्व श्रवण बाधित महासंघ (डब्ल्यूएफडी) की स्थापना के साथ मेल खाती है, जो सांकेतिक भाषाओं की समृद्ध ताने-बाने को पहचानने और संरक्षित करने के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को और मजबूत करती है।

सांकेतिक भाषा दिवस – 2024

23 सितंबर, 2024 को सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार और मुख्य अतिथि के रूप में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा उपस्थित थे। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के तहत भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी) द्वारा इस वर्ष के आयोजन का विषय **"सांकेतिक भाषा अधिकारों के लिए पंजीकरण करें"** है।

मुख्य पहल और लॉन्च

1. भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) में 2500 नए शब्द: चार संगठनों के सहयोग से, आईएसएलआरटीसी ने गणित, विज्ञान और विभिन्न शैक्षणिक क्षेत्रों जैसे विषयों को कवर करते हुए

2500 नए आईएसएल शब्द पेश किए। इस विस्तार का उद्देश्य मौजूदा आईएसएल शब्दकोश को बढ़ाना और शिक्षा का समर्थन करना है।

2. आईएसएल में 100 कॉन्सेप्ट वीडियो: 6वीं कक्षा के श्रवण बाधित बच्चों के लिए तैयार किए गए, इन वीडियो में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ग्राफिक्स और उपशीर्षक का उपयोग करके गणित और विज्ञान जैसे विषयों की विस्तृत व्याख्या की गई।

3. 10 क्षेत्रीय भाषाओं में आईएसएल शब्दकोश: सुगमता में सुधार के लिए, आईएसएल शब्दकोश अब दस क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे विविध समुदायों के लिए आईएसएल से जुड़ना आसान हो गया है।

4. आईएसएल में शैक्षिक एनिमेटेड वीडियो: ये वीडियो नैतिक मूल्यों पर केंद्रित हैं और श्रवण बाधित बच्चों के लिए एक नया सीखने का अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे समावेशी शैक्षिक वातावरण को बढ़ावा मिलता है।

5. आईएसएल में बधिर रोल मॉडल वीडियो: इस पहल का उद्देश्य सफल श्रवण बाधित व्यक्तियों को प्रदर्शित करके श्रवण बाधित बच्चों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है, जो रोल मॉडल के रूप में काम करते हैं।

6. 7वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता: इस कार्यक्रम में 7वीं भारतीय सांकेतिक भाषा प्रतियोगिता के विजेता भी शामिल हुए, जो श्रवण बाधित छात्रों की रचनात्मकता और कौशल को प्रदर्शित करने वाली एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता है।

दिव्यांगजनों की सहायता हेतु योजनाएं

भारत में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने मूक-बधिर छात्रों सहित दिव्यांगजनों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के उद्देश्य से कई योजनाएं और प्रावधान लागू किए हैं। यहां प्रमुख पहलों का विवरण दिया गया है:

1. दिव्यांगजनों को सहायता/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडीआईपी)

यह योजना देश भर में दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को धन मुहैया कराती है। मुख्य रूप से, इसमें श्रवण बाधित बच्चों के लिए **कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी[2]** के प्रावधान शामिल हैं।

2. श्रवण बाधित छात्रों के कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग विशेष रूप से श्रवण बाधित छात्रों के लिए कॉलेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता भारत के पांच क्षेत्रों[3] में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से संबद्ध कॉलेजों के लिए उपलब्ध है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि श्रवण बाधित और मूक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके।

3. दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां

श्रवण बाधित और मूक लड़कों और लड़कियों को एक छत्र योजना सहित दिव्यांग छात्रों के लिए छह घटकों[4] में छात्रवृत्ति प्रदान करती है।

4. राष्ट्रीय संस्थान और क्षेत्रीय केंद्र

दो प्रमुख संस्थान, मुंबई में **अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज** और नई दिल्ली में **भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र (आईएसएलआरटीसी)**, श्रवण और वाक् विकलांगता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त, पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने, कौशल विकास प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम के लिए **25 समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी)** स्थापित किए गए हैं।

5. भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा

आईएसएलआरटीसी भारतीय सांकेतिक भाषा शिक्षण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रदान करता है, जिसमें विशिष्ट विकलांगता आईडी (यूडीआईडी)[5] के साथ पंजीकृत छात्रों के लिए ट्यूशन फीस माफ की जाती है। उन्होंने श्रवण बाधित छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए 10,500 शब्दों का एक व्यापक सांकेतिक भाषा शब्दकोश भी विकसित किया है।

6. अन्य कदम

दिव्यांगजनों का समर्थन करने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता एक मजबूत संवैधानिक ढांचे पर आधारित है। इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम 2016 है, जो समावेशी शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में महत्व देता है। इस अधिनियम के तहत, शैक्षणिक संस्थानों को यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि मूक-बधिर बच्चों सहित बेंचमार्क विकलांगता वाले बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक समावेशी वातावरण में मुफ्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, जिनमें 40 प्रतिशत या उससे अधिक की विकलांगता है। यह अधिनियम सरकारी और सहायता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग जनों के लिए न्यूनतम 5 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करके समानता को भी बढ़ावा देता है।

इन प्रयासों के पूरक के रूप में, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा शुरू की गई समग्र शिक्षा योजना[6] विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा (सीडब्ल्यूएसएन) प्रदान करने के उद्देश्य से समर्पित समर्थन करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यापक पहल सुनिश्चित करती

है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को आवश्यक संसाधन प्राप्त हों, जिसमें सहायता और शैक्षिक सामग्री के लिए वित्तीय सहायता सहित दिव्यांग बालिकाओं को सहायता देने के लिए 200 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं, जो शिक्षा में समावेशिता और समानता के प्रति दृढ़ संकल्प को चिन्हित करता है। ये प्रयास सामूहिक रूप से शैक्षिक परिदृश्य को बढ़ावा देते हैं और सभी बच्चों को आगे बढ़ने और सफल होने के लिए सशक्त बनाते हैं।

दिवस का महत्व

अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस सांस्कृतिक और भाषायी विविधता के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में सांकेतिक भाषाओं को संरक्षित करने की आवश्यकता की याद दिलाता है। यह समाज के सभी वर्गों में भारतीय सांकेतिक भाषा (आईएसएल) के बारे में सकारात्मक जागरूकता पैदा करने के महत्व पर प्रकाश डालता है।

संदर्भ:

- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2057961
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2057529
- https://islrtc.nic.in/sign-language-day/#:~:text=In%20India%2C%20we%20call%20it,the%20same%20day%20in%201951.
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/1714/AU295.pdf?source=pqals#:~:text=(VIII)%20National%20Divyangjan%20Finance%20and,dumb%20persons%20throughout%20the%20country.
- https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2023/11/20240814273556384.pdf
- https://depwd.gov.in/sipda/
- https://pmdaksh.depwd.gov.in/JobAggregator/Home
- https://pmdaksh.depwd.gov.in/JobAggregator/Home#:~:text=The%20Divyangjan%20Rozgar%20Setu%20is,PwDs%20and%20companies%20hiring%20PwDs.
- https://www.swavlambancard.gov.in/
- https://cdnbbsr.s3waas.gov.in/s3e58aea67b01fa747687f038dfde066f6/uploads/2023/12/20240129736501445.pdf
- https://depwd.gov.in/national-handicapped-finance-and-development-corporation/
- https://www.mea.gov.in/Images/pdf1/S7.pdf
- https://dsel.education.gov.in/scheme/samagra-shiksha
- https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1546995#:~:text=The%20theme%20of%20International%20Day,Sunday%2C%20September%2030%2C%202018.
- https://www.un.org/development/desa/disabilities/news/news/sign-languages.html#:~:text=2019%20Theme:%20Sign%20Language%20Rights,Language%20Rights%20for%20Deaf%20Refugees
- https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=1658273&reg=3&lang=1
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1861555#:~:text=Press%20Release:Press%20Information%20Bureau
- https://www.nios.ac.in/media/documents/230-ISL/Ch-1.pdf

पीडीएफ देखने के लिए यहां क्लिक करें।

****

एमजी/ आरपीएम/ केसी/ एसकेएस/डीके
(रिलीज आईडी: 2060081)